संख्या-०८/२०१७/४२६/52-1-2017-18(एम0एस0डी0पी0)/16-टी०सी०-।

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अल्पसंख्यक कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक २२ फरवरी, 2017

विषय- मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेण्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत जनपद-मुजफफरनगर के वि०ख-बघरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जसोई के निर्माण एवं 10 प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के भवन निर्माण की लागत वृद्धि की धनराशि रू0 **40.46** लाख अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-2055/52-1-2013-16(एम०एस०डी०पी०)/13, दिनांक 15.05.2013 एवं शासनादेश संख्या-2834/52-1-2013-1(128)/13, दिनांक 31.01.2014 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद-मुजफफरनगर में क्रमश: वि०ख-बघरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जसोई के निर्माण हेतु रू० 110.00 लाख एवं 10 प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के भवन निर्माण हेतु रू० 100.00 लाख की लागत अनुमोदित करते हुए प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त की गयी थी।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत कार्य हेतु नामित कार्यदायी संस्था-कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ द्वारा प्रस्तुत पुनरीक्षित आंगणन पर पी०एफ०ए०डी० द्वारा उक्त कार्य हेतु लागत वृद्धि के बारे में विचार करते हुए निम्नवत् लागत स्वीकृत की गयी है :-

(रू० लाख में)

क्र०	परियोजना	स्वीकृत लागत	पी०एफ०ए०डी० द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित लागत	अन्तर/लागतवृद्धि की धनराशि
1	वि०ख-बघरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जसोई का निर्माण	110.00	129.16	19.16
2	10 प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का भवन निर्माण	100.00	121.30	21.30
	योग	**210.00**	**250.46**	**40.46**

http://sgtamadesh.up.nic.in

3- अतएव श्री राज्यपाल महोदय उपरोक्त 02 प्रायोजनाओं हेतु उक्तानुसार पी०एफ०ए०डी० द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित लागत पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन प्रदान करते हुए लागतवृद्धि की धनराशि रू० 40.46 लाख कार्यदायी संस्था को अवमुक्त करने हेतु योजना के लिए चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्राविधानित एवं अनुपूरक के माध्यम से प्राप्त बजट रू0 4500.00 लाख के सापेक्ष उपलब्ध बजट रू० 3135.25 लाख में से अवमुक्त कर आपके निवर्तन पर रखने व व्यय करने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) अवमुक्त धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। इसे सक्षम स्तर की स्वीकृति, यदि वित्तीय हस्त पुस्तिका तथा बजट मैनुअल नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, प्राप्त करके ही व्यय किया जायेगा।

(2) उक्त परियोजनाओं हेतु भविष्य में लागतवृद्धि की कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा उक्तवत् अनुमोदित लागत से ही प्रश्नगत वि०ख-बघरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जसोई के निर्माण एवं 10 प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का निर्माण कार्य कराया जायेगा । इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था के साथ एम०ओ०यू० भी हस्ताक्षरित किया जायेगा ।

(3) कार्यदायी संस्था द्वारा समस्त वैधानिक अनात्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा ।

(4) पुनरीक्षित लागत के आंगणन में प्रस्तावित विशिष्टियों में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे-नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमाल करना इत्यादि व्यय वित्त समिति का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा ।

(5) जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है ।

4- प्रायोजना के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या-2055/52-1-2013-16(एम०एस०डी०पी०)/13, दिनांक 15.05.2013 एवं शासनादेश संख्या-2834/52-1-2013-1(128)/13, दिनांक 31.01.2014 द्वारा लगायी गयी शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

5- उक्त के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-48 के लेखा शीर्षक-"4235--सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02--समाज कल्याण-800--अन्य व्यय-01--केन्द्रीय आयोजनागत /केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-**0106-अल्पसंख्यक बाहुल्य जनपदों में मल्टीसेक्टोरल डिस्ट्रिक्ट प्लान**

http://shasanadesh.up.nic.in

के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों का निर्माण(के075-रा0 25-के0+रा0)-24--वृहद निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

6- यह आदेश वित्त 1-अनुभाग (यकव्य-आय)के कार्यालय-1-0बी/2016/1-ज्ञाप संख्या-/746दसमें निहित प्राविधानों के अनुसार जारी किया 2016-03-22 दिनांक ,2016/231-2016-जा रहा है।

भवदीय,

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

संख्या-४२६(1)/बावन-1-2017 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

2- महालेखाकार (परीक्षा विभाग), प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

3- बजट अधिकारी, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।

4- निदेशक, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, 11वाँ तल पर्यावरण भवन, सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली ।

5- प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस आशय से प्रेषित कि कृपया प्रश्नगत वि०ख-बघरा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जसोई के निर्माण एवं 10 प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्रों के निर्माण की गुणवत्ता अपने स्तर से भी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। उक्त के अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित किया जाना निवेदित है कि प्रश्नगत निर्माण कार्य के लिये केन्द्र/राज्य सरकार के किसी अन्य मद से अनुदान प्राप्त न किया गया हो।

6- निदेशक, **कन्सट्रक्शन एण्ड डिजाइन सर्विसेज, लखनऊ** को इस आशय से प्रेषित कि निर्मित होने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ उपकेन्द्रों के भवन निर्माण स्थलों की सूची सम्बन्धित विभाग/अधिकारी से प्राप्त कर गुणवत्ता पूर्ण निर्माण समयान्तर्गत पूर्ण करने का कष्ट करें।

7- जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, मुजफ्फरनगर को इस आशय से प्रेषित कि कृपया निर्मित होने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों/उपकेन्द्रों के भवन निर्माण की सूची कार्यदायी संस्था एवं शासन को शीघ्र उपलब्ध कराकर गुणवत्ता पूर्ण निर्माण कराने का कष्ट करें।

8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

9- लेखाधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

10- वित्त-ई-11

http://shasanadesh.up.nic.in

11- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 को स्वच्छ प्रति की 03 प्रतियां।

12- निजी सचिव, मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण एवं हज, उत्तर प्रदेश को मा० मंत्री जी के अवलोकनार्थ।

13- निजी सचिव, सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ विभाग को सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।

14- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दीनानाथ)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in